न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

प्रफुल्ल यादव बनाम रूपा कालिन्द्री वगैरह

क्र० / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	अभिलेख सं0–एम 06 / 2018 धारा–107 द0प्र0सं0 थाना प्रभारी सोनाहातु के अप्राथमिकी सं0–02/18 दिनांक–02.02.18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि मारपीट एवं छेड़खानी को लेकर विवाद उभय पक्ष में तनाव है।	
	जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।	
	अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द0प्र0सं0 की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।	
	अभिलेख तिथि 23-02-18 को उपस्थापित करें।	
	लेखापित एवं संशोधित	
	कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।	
23-02-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित द्वितीय पक्ष उपस्थित। दिनांक 12-03-18 को रखें।	
	23/2/18	

पृष्ठ सं०—

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर
24-09-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। उभय पक्ष अगली तिथि को जवाब दाखिल करें दिनांक 12-10-18 को रखें। (ह०) 24/09/18
12-10-18	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित द्वितीय पक्ष अधिवक्ता हाजरी। उभय पक्ष अगली तिथि को जवाब दाखिल करें दिनांक 29-10-18 को रखें। (ह०) 12/10/18
29-10-18	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष की ओर से न्यायालय में एक संयुक्त सुलहनामा आवेदन देकर निवेदन किया गया है कि उभय पक्ष अपने शुभचिन्तकों एवं दोस्तों के माध्यम से न्यायालय के बाहर समझौता कर लिए हैं। उभय

तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
	पक्ष एक ही गोत के निवासी है। उभय पक्ष के अब किसी तरह का कोई विवाद नही है तथा शान्ति भंग होने की संभावना नही है। उभय पक्ष केस को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। उपरोक्त बातों के आधार पर उक्त सुलहनामा के आवेदन को स्वीकृत करते हुए वाद को समाप्त किया जाए। उभय पक्ष के द्वारा दिए गए संयुक्त सुलहनामा आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। लेखापित एवं संशोधित [signature] 29/10/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची) [signature] 29/10/18 कार्यपालक दण्डाधिकारी बुण्डू (रांची)	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2021.08.16 14:04:22 +05:30
Location: 192.168.43.107